संख्याः 2450 /XVII(4)/2011/43/10

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग **देहरादून दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011**

विषयः– **आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत "मातृत्व सहयोग योजना" के संचालन हेतु जनपद स्तरीय प्रकोष्ठ में कर्मचारियों की तैनाती के चयन हेतु गठित चयन समिति में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2122 /XVII(4)/2011/43/10 दिनांक 27–9–2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत "मातृत्व सहयोग योजना" के संचालन हेतु जनपद स्तरीय प्रकोष्ठ में कर्मचारियों की तैनाती के चयन हेतु चयन समिति गठित की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 27–9–2011 के प्रस्तर–4 में गठित चयन समिति में संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त समिति के स्थान पर निम्नवत समिति गठित की जाती है–

I. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
II. निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा नामित मुख्यालय का अधिकारी	सदस्य सचिव
III. अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ0बी0सी0 आदि का विशेषज्ञ/ उपनिदेशक जनजाति निदेशालय	सदस्य

2– शासनादेश दिनांक 27–9–2011 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 2450 (1)/XVII(4)/2011 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. संयुक्त सचिव/निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समिति के सम्बन्धित सदस्यगण।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 (मुख्यालय)/देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव